

बिहार सरकार

वित्त विभाग

आ० सं०-11/निगरानी-15/2025..... /वि०, पटना, दिनांक

:: आदेश ::

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5(1) के तहत श्री रंजय कुमार पाण्डेय, अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को निगरानी शाखा (प्रशाखा-11) एवं आगत निर्गत प्रशाखा (प्रशाखा-40) का लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक-515 दिनांक-09.05.2025 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राम चन्द्र मंडल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -11/निगरानी-15/2025...6644.../वि०, दिनांक -13/06/2025

प्रतिलिपि:-महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारी शरीफ, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, कुशडीहरा, गया/सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (संसाधन/व्यय) के आप्त सचिव/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय/विशेष सचिव के आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव के कोषांग/बजट पदाधिकारी/बजट सलाहकार/वित्तीय विशेषज्ञ/सभी संयुक्त आयुक्त/सभी उप सचिव/उपायुक्त (वि०प्र०)/सभी अवर सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/वरीय कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंघाई भवन/सभी वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी/सभी लेखा पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

R Mandal

13/06/2025

सरकार के अवर सचिव।